2022 का विधेयक संख्या 10

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2022

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के (वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1994 में पुनः संशोधन करने के लिए

एक

विधेयक

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा यह निम्न रूप से अधिनियमित किया जाए:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** — (1) इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के (वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जाए।

   (2) यह उप–राज्यपाल द्वारा भाासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथानियत तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **धारा 3 का संशोधन** :— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के (वेतन तथा भत्ते)अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम 7) (इसके पश्चात "मूल अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के लिए निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्—

"(3) अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ऐसे वेतन, भत्ते तथा अन्य पात्रताओं को प्राप्त करने के पात्र होंगे जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्रियों को (वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1994 के अंतर्गत किसी मंत्री को ग्राह्य है। "

3. **धारा 4 तथा धारा 5 का लोप और धारा 7,एवं धारा 8 का पुनःक्रमांकन** — मूल अधिनियम में धारा 4, धारा 5 तथा धारा 6 का लोप किया जाएगा और धारा 7, धारा 8 एवं धारा 9 का पुनःक्रमांकन किया जाएगा जैसा कि क्रमशः धारा 4, धारा 5 तथा धारा 6 में किया गया है।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

पिछले कुछ समय से विधायकों की ओर से मूल्य सूचकांक में वृद्धि को लेकर उनके वेतन और अनुलाभों/सुविधाओं में वृद्धि की मांग लगातार की जा रही है। यह भी अनुभव किया गया कि मंत्रियों/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता–प्रतिपक्ष/मुख्य सचेतक के वेतन/अनुलाभ/सुविधाएं अपर्याप्त हैं जिन्हें एक समानुपातिक सीमा तक उन्नत तथा बढ़ाया जाना चाहिए।

अत्याधिक मांग को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष ने दिल्ली विधान सभा सदस्यों के वेतन एवं भत्तों की संरचना का व्यापक अध्ययन करने और राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा सदस्यों के वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं में संशोधन की सिफारिश करने के लिए 20.08.2015 को विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्यो के वेतन और भत्ते इत्यादि में वृद्धि के लिए मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के प चात विशेषज्ञ समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है।

इस प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के (वेतन और भत्ते) अधिनियम, 1994 में संशोधन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के (वेतन, भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2022 को आरंभ किया गया है। इस विधेयक द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है, ताकि उन्हें प्रभावी ढंग से कार्य करने में सुविधा हो।

विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

(कैलाश गहलोत)
मंत्री (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

<u>वित्तीय ज्ञापन</u>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का (वेतन, भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2022 में निहित प्रस्तावों के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त वार्षिक आवर्ती व्यय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से किया जाएगा।

(कैलाश गहलोत)
मंत्री (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का (वेतन, भत्ते) (संशोधन) विधेयक, 2022 किसी अधीनस्थ पदाधिकारियों पर विधायी शक्ति सौंपने की मांग नहीं करता है।

(कैलाश गहलोत)
मंत्री (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

BILL No. 10 of 2022

THE SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES AND ALLOWANCES) (AMENDMENT) BILL, 2022.

A

BILL

Further to amend the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994.

Be it enacted by the legislative assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-second year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, and commencement**.- (1) This Act may be called the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall come into force on such date as the Lieutenant, Governor may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 3. – In the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994 (Delhi Act 7 of 1995) (hereinafter referred to as the principal Act), for section 3, the following section shall be substituted, namely:-

"(3) The Speaker and Deputy Speaker shall be entitled to receive a salary, allowances, and such other entitlements as are admissible to a Minister under the Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994.".

3. Omission of section 4 and section 5 and re-numbering of section 7 and section 8. – In the principal Act, section 4, section 5 and section 6 shall be omitted, and section 7, section 8 and section 9 shall be re-numbered as section 4, section 5 and section 6, respectively.

STATEMENT OF OBJECTS & REASONS

For some time past, there has been persistent demand from the MLAs for the increase in their salaries and perks/ facilities having regard to the increase in the price index. It has also been pointed out that salaries/ perks/ facilities of Ministers/ Speaker/ Deputy Speaker/ Leader of Opposition/ Chief Whip are a bit inadequate which should be upgraded and enhanced to a commensurate extent.

Considering the exigency of demand, the Speaker of Delhi Legislative Assembly appointed a Committee of Experts on 20.08.2015 to undertake a comprehensive study of the structure of salaries and allowances of Members of Legislative Assembly of Delhi and to recommend revision of salary allowances and other facilities for the Members of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi. The Expert Committee after deliberating on the issues has made its recommendations for increasing the salaries and allowances etc. of Members of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi.

For the purpose, the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 2022, has been initiated to amend the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994. This Bill proposes to increase the salaries, allowances & other facilities of the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the Government of National Capital Territory of Delhi, so as to facilitate them to work effectively.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(Kailash Gahlot)
Minister (Law, Justice & Legislative Affairs)

FINANCIAL MEMORANDUM

For the implementation of the proposals contained in The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 2022, there will be an additional annual recurring expenditure from the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi.

(Kailash Gahlot)
Minister (Law, Justice & Legislative Affairs)

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 2022, does not seek to confer power of legislation on any subordinate functionaries.

(Kailash Gahlot)
Minister (Law, Justice & Legislative Affairs)